न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 33/2017
GCMS No. : 2017/00266

प्रार्थी:–

दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सन्तोष जैन पुत्र पूनमचंदजी (विक्रेता) मैसर्स महावीर फूड प्रोड्क्टस, जवडीया 48, लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज एरिया घुमटी, पाली
2. लीला देवी संकलेचा (मालिक), मैसर्स महावीर फूड प्रोड्क्टस, जवडीया, 48, लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज एरिया घुमटी, पाली निवासी : ए–29, हाउसिंग बोर्ड, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अनुपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण संकलेचा उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/08/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 28.08.2016 को दौराने गश्त मैसर्स महावीर फूड प्रोडक्ट्स, लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज एरिया घुमटी, जिला पाली पर गए। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला तथा वहां पर घी (रामदेव ब्राण्ड) रखे हुए थे, वहां पर लगभग 50 पैकेट घी के रखे हुए थे, जिनमें प्रत्येक में एक लीटर घी है, जो आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए थे, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर रूबरू गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर तैयार किया गया। उक्त घी के पैकेट में से चार मूल पैकेट घी (रामदेव ब्राण्ड) वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा घी को चार विभक्त किया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–562 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./1033/एक्ट/2016/1063 दिनांक 06.09.2016 में प्रार्थी द्वारा लिया गया घी (रामेदव ब्राण्ड) का Unsafe food पाया गया। इसके पश्चात अप्रार्थी ने उक्त नमूने की जांच रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूणे से जांच करवाई, जिसके जांच प्रतिवेदन सीएफएल/डीओ–386/16/23/2017 अनुसार उक्त नमूना Sub Standrad पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad घी (रामदेव ब्राण्ड) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की फर्म पर रखा गया घी (रामदेव ब्राण्ड) बेचाण हेतु नहीं था, बल्कि टोफी के निर्माण हेतु रखा गया था। अप्रार्थीगण को उक्त घी की गुणवता की जानकारी नहीं थी, मात्र अज्ञानतावश विक्रेता से घी क्रय कर लिया था, भविष्य में ऐसा कृत्य दुबारा नहीं करेगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.08.2016 को दौराने गस्त अप्राथीगण की फर्म पर गया तो, वहां पर सन्तोष जैन (विक्रेता मालिक) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.08.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म में बेचाण हेतु रखे हुए घी (रामेदेव ब्राण्ड) चार मूल पैकेट घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा घी को चार भागों में विभक्त कर, लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–562 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./1033/एक्ट/2016/1063 दिनांक 06.09.2016 में प्रार्थी द्वारा लिया गया घी (रामेदव ब्राण्ड) का Unsafe food पाया गया। इसके पश्चात अप्रार्थी ने उक्त नमूने की जांच रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूणे से जांच करवाई, जिसके जांच प्रतिवेदन सीएफएल/डीओ–386/16/23/2017 अनुसार उक्त नमूना Sub Standrad माना गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण की फर्म से पाया गया घी (रामदेव ब्राण्ड) जो Sub Standrad पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad खाद्य वस्तु घी (रामदेव ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/08/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली